न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 18 / 2022 / बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 19 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. दुरगाराम पुत्र पूनमाराम 2. गणपतराम पुत्र पूनमाराम 3. चूनाराम पुत्र पूनमाराम 4. नगी पत्नी पूनमाराम जाति कंभार निवासी डावली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. राणाराम पुत्र जीवाराम उम्र 54 वर्ष जाति कुंभार निवासी डावली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रवन्धक, टी.ए.जी.बी. हाल आम.एम.जी.बी. शाखा धौरीमन्ना 3. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2020 बअनवान राणा बनाम दुरगा वगै. में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 26.10.2021 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपरिथति

1. वकील श्री वांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 31.08.2022

हस्तगत प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की उक्त दोनों ही अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा जा रहा है तथा निर्णय की प्रति दोनों अपील पत्रावलीयों पर अलग—अलग रखी जा रही है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा डाबली पटवार क्षेत्र वेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 45/1, 49/1, 82/2 रकबा क्रमशः 04.12, 06.09, 01.04 बीघा कुल रकवा 12.05 बीघा व मौजा डाबली खुर्द पटवार क्षेत्र वेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में खसरा नम्बर 56/1, 56/6, 56/874/3 रकबा क्रमशः 06.04, 07.08, 08.06, 06.03 बीघा कुल रकवा 28.01 बीघा के आये हुऐ है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाडा किया हुआ है इस आशय का मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को वादी साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान करते हुऐ दिनांक 26.10.2021 को नियत की गई तथा दिनांक 26.10.2021 को पत्रावली प्रशसन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बेरीगांव में रखी गई जिस बाबत अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा प्रतिवादी की गलत रूप से उपस्थिति दर्शाते हुऐ कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण की तरफ से पेश काउंटर क्लेम का निस्तारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि रागी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा पेश जबाव दावा एवं उसके साथ पेश कांउन्टर क्लेम का निर्णय नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2021 कैम्प कौर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपीले रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीले अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2020 बआनवान राणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाम दुरगा वगै. में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 26.10.2021 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का रागुचित गौका दिया जाकर अपीलांटगण द्वारा पेश काउन्टर क्लेम का निरतारण करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की जावे तत्पश्चात तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग/नहर को मद्देनजर रखते हुए अपीलांटगण के हिस्से अनुसार खसरा संख्या 49/1 में भूमि दी जाकर बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर